

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,  
राहत आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
प्रतापगढ़।

राजस्व अनुभाग—10

दिव्यय: दिनांक 02 नवम्बर, 2006 को चकवात व ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—113 / सी०आर०८०—दै०आ०, दिनांक 11 मार्च, 2008 के कम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 02 नवम्बर, 2006 को चकवात व ओलावृष्टि से हुई 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल क्षति से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु रु० 8,92,717/- (रुपये आठ लाख बानबे हजार सात सौ सत्रह मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्टीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-06-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि दिनांक 02 नवम्बर, 2006 को चकवात व ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को तत्समय प्रचलित शासनादेश संख्या—जी०आई—156 / 1-11-2004-46 / 96, दिनांक 01 मार्च, 2005 में उल्लिखित कृषि निवेश अनुदान की दरों के अनुरूप ही वितरित करने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे अन्य दायित्वों का निर्वहन कदापि नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या—4815 / 1-10-2007- 14(45) / 2003, दिनांक 8 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दी जाने वाली रु० 1000/- से कम की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रु० 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्टपेची चेक के माध्यम से किया जाय।

4. लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण करने से पूर्व रिलीफ खतौनी अनिवार्य रूप से तैयार करायी जाय तथा जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि तैयार की गई रिलीफ खतौनी पात्र लाभार्थियों के आधार पर ही बनायी गई है।

5. कृषि निवेश अनुदान का वितरण गांव में विशेष कैम्प लगाकर किया जाय। कैम्प का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें। कृषि निवेश अनुदान

सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रम में यथा समव जनपद के माठ प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री भी सुविधानुसार शामिल हो सकें। धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

6. जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी (मू-लेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ-साथ राहत वितरण काये पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी की भी तैनाती करेंगे, जो अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या की प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे। कृषि निवेश अनुदान की धनराशि वितरित न होने की स्थिति में शासन को एक माह में समर्पित कर दिया जाय।

7. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

8. कृपया व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाए और प्रत्येक तीन माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाए।

भवदीय,

( जी० क्र० टप्पडन )  
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-2590 (1)/1-10-2008-12(75)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित तो सूचनार्थ एवं ऑब्जेक्ट कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) पथम, ल० प्र०, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निर्देशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी /लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग -6/11/बेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( जी० क्र० टप्पडन )  
राहत आयुक्त एवं सचिव।